



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-14



पत्रांक— 8 बजट (1) 16/2026.....आ०

दिनांक— 01/06...../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर।
सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर।

विषयः—

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम, मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 103 कुक्कुट विकास, 0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02-2403001030106 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 43,500/- (तैंतालिस हजार पाँच सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय राज्यादेश संख्या 1892, दिनांक 21.04.2026 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 43,500/- (तैंतालिस हजार पाँच सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम, मांग सं०-2 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 103 कुक्कुट विकास, 0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02-2403001030106 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 236/वि०, दिनांक 09.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग 1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाये।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक उपलब्ध कराया जाये।

3 A

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 16/2026...आ०/

पटना-14, दिनांक.../01/06/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक- 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-06 एवं 10 पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विभागीय राज्यादेश संख्या 1892, दिनांक 21.04.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 103 कुक्कुट विकास, 0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्रकोड- 02-2403001030106 के तहत राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी:-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	02.01 मजदूरी	13.01 कार्यालय व्यय	13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	13.03 दूरभाष	13.04 विद्युत प्रभार	20.03 प्रशिक्षण व्यय	21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	52 01 मशीने एवं उपकरण	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर	33,000	0	0	300	0	300	0	0	33,600
2	सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर	0	6,600	0	0	3,300	0	0	0	9,900
	योग :-	33,000	6,600	0	300	3,300	300	0	0	43,500

तैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र ।

22/06/2026
01/06/2026 -

निदेशक, पशुपालन